डॉ. आर. के. तुगनावत
प्राचार्य
शा. होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर
भंवरकुआ चौराहा, ए.बी. रोड, इंदौर–452001

प्रस्तावना

महिला भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। चिकित्सा, शिक्षा, राजनीति, खेल, औद्योगिक, प्रशासनिक, कार्मिक, अर्द्धसैनिक, सेना तथा सामाजिक क्षेत्रों में अपना सहयोग प्रदान कर राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योग देती आ रही हैं। हमारी ऐसी मान्यता है कि यदि महिलाएँ सशक्त होंगीं तो हमारा समाज तथा राष्ट्र भी सशक्त होगा। हम महाविद्यालय में कार्यरत महिलाओं के साथ–साथ छात्राओं को भी उचित एवं योग्य वातावरण प्रदान करने के लिये कृत संकल्पित हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये महाविद्यालय में महिला सशक्तिकरण नीति की आवश्यकता महसूस की गई। मुझे खुशी है कि महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने इसे गंभीरता से लिया और इस नीति को एक उचित आकार प्रदान किया। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि यह नीति छात्राओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायक सिध्द होगी।

डॉ. आर.के. तुगनावत

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1
2	महिला सशक्तिकरण नीति	3
3	उद्देश्य व कार्य	3
4	यौन उत्पीड़न क्या है ?	4
5	प्रकोष्ठ तक कौन पहुँच सकता है ? तथा प्रकोष्ठ किसकी सहायता कर सकता है ?	4
6	शिकायत कैसे दर्ज करें ?	4
7	महिला सशक्तिकरण समिति का गठन	5
8	प्रकोष्ठ के कार्य	5
9	समिति की कार्ययोजना	6
10	सूचना व अधिकारों का प्रसारण	6
11	आभार	8

महिला सशक्तिकरण नीति

(Woman Empowerment Policy)

उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देश के अनुसार 2013 से महिला प्रकोष्ठ एवँ यौन उत्पीड़न समिति, महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ कहलाती है। होलकर विज्ञान महाविद्यालय में भी महिला सशक्तिकरण समिति 2002 से कार्यरत है। वर्तमान प्राचार्य ने इस समिति के सुचारू रूप से कार्य करने के लिये महाविद्यालय में महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ का गठन कर, इस दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह प्रकोष्ठ महाविद्यालय की महिला सशक्तिकरण नीति में दिये दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगा।

उद्देश्य व कार्य

संविधान के Article 14, 15 व 21 के अनुसार किसी भी प्रकार की शारीरिक व मानसिक यंत्रणा मौलिक अधिकारों, लिंग समानता, जीने के अधिकारों व स्वतंत्रता का उल्लंघन है। Article 19(A) g के अनुसार हर महिला अपना मन चाहा व्यापार या केरियर चुनने व करने के लिए स्वतंत्र है और किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक शोषण, उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अतः Article 32 के अंतर्गत महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है।

होलकर विज्ञान महाविद्यालय छात्राओं व महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के साथ लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव व यौन उत्पीड़न से बचाव हेतु सजग है। इस हेतु 2002 से ही महाविद्यालय में महिला सशक्तिकरण समिति गठित है जो सक्रियता से कार्यरत है। इस समिति/प्रकोष्ठ को दिशा–निर्देश प्रदान करने के उद्देश्य से ही महाविद्यालय की महिला सशक्तिकरण नीति का निर्धारण किया गया है।

यौन उत्पीड़न क्या है ?

किसी भी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध किया गया ऐसा आचरण जिसमें बातचीत या स्पर्श या किसी अन्य तरीके से महिला के सम्मान को ठेस पहुँचती है – जिसके कारण वह अपने कार्यस्थल या महाविद्यालय परिसर में स्वतंत्र व निर्भीक रूप से विचरण कर अपना कार्य करने में असुविधा महसूस करती है अथवा जिससे उसकी कार्यक्षमता तथा मानसिकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आता है।

लिंग के आधार पर किया गया भेदभाव जिसके कारण योग्य होने पर भी उसे किसी भी प्रकार के लाभ से वंचित किया जाए, यंत्रणा के अंतर्गत आता है।

प्रकोष्ठ तक कौन पहुँच सकता है ? तथा प्रकोष्ठ किसकी सहायता कर सकता है ?

होलकर विज्ञान महाविद्यालय की हर छात्रा, महिला कर्मचारी, प्राध्यापिका चाहे वह दैनिक वेतनभोगी हो, स्थायी हो या अस्थायी रूप से नियुक्त, इस समिति को अपनी बात, अपने साथ हुई घटना को मौखिक या लिखित रूप से बता सकती है व समिति के माध्यम से न्याय की गुहार लगा सकती है।

शिकायत कैसे दर्ज करें ?

पीड़िता अपनी शिकायत, समिति को मौखिक रूप से स्वयं उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से या फोन पर या email (principalhsc@rediffmail.com) द्वारा भी प्रेषित कर सकती है। शिकायतकर्ता का नाम व पहचान पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाएगा जब तक शिकायतकर्ता स्वयं इसे उजागर करने के लिये न कहे।

महिला सशक्तिकरण समिति का गठन

इस महाविद्यालय में महिला/छात्रा सशक्तिकरण समिति का गठन शासन के दिशा निर्देशानुसार सन् 2002 से प्रतिवर्ष किया जाता रहा है जिसमें एक वरिष्ठ महिला प्राध्यापिका संयोजक एवं 7 अन्य सदस्य जिसमें कम से कम 6 महिला प्राध्यापिकाएँ, एक पुरूष प्राध्यापक, छात्रसंघ के प्रतिनिधी व 2 छात्राएँ सदस्य होते हैं।

प्रकोष्ठ के कार्य

1. इस प्रकोष्ठ का सबसे महत्वपूर्ण कार्य महिलाओं को सुरक्षित व सहयोगी वातावरण को प्रदान करना है जिसमें वे निर्भीक होकर सहजता से अपना कार्य पूर्ण कर सकें। महिलाओं एवं छात्राओं के व्यक्तित्व के विकास व उन्नति के साथ महाविद्यालय के विकास व उन्नति हेतु एक स्वस्थ परम्परा कायम हो, जहाँ हर कार्य व क्षेत्र में नारी वर्ग की भी बराबरी की भागीदारी हो।
2. यह सुनिश्चित करना कि महाविद्यालय में किसी भी छात्रा, महिला कर्मचारी, शिक्षकों से किसी भी प्रकार का मानसिक व शारीरिक दुर्व्यवहार न हो जिससे उसके मान–सम्मान या प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचे।
3. छात्राओं/महिलाओं में उनके प्रति होने वाले अनुचित व्यवहार का पूर्ण दृढ़ता व कठोरता से विरोध करने व अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की मानसिकता विकसित करना।
4. यदि दुर्भाग्यवश कोई यौन उत्पीड़न संबंधी घटना घटती है और संज्ञान में लायी जाती है तो उसका निष्पक्ष व शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करना।
5. महिलाओं को अपने साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के अपराध को चुपचाप सहन करने की बजाए प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रशासन तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करना।

6. समस्त विद्यार्थियों, कर्मचारियों व शिक्षकों को समय–समय पर जागरूक करना व समझाइश (विभिन्न व्याख्यानों द्वारा) देना कि ऐसा आचरण व व्यवहार जो महिलाओं की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाए, दंडनीय अपराध है।

7. हर प्रकार की गतिविधियों से ऐसा स्वस्थ वातावरण निर्मित करना, ऐसी मानसिकता व परम्पराओं को प्रतिष्ठित करना जहाँ महिलाओं/छात्राओं का सम्मान, प्रतिष्ठा व गरिमा का पूर्ण ध्यान, उचित व्यवहार से रखा जाए।

महाविद्यालय की ऐसी मान्यता है कि इस नीति के अमल में लाने से महाविद्यालय अपने समस्त कर्मचारियों, शिक्षकों व छात्र–छात्राओं के बीच ऐसा वातावरण बनाए रखने में सफल होगा जो सभी एक दूसरे से सद्भाव व सम्मान बनाए रखते हुए समझदारी व सामंजस्य रखते हुए अपने आचरण, व्यवहार, वाणी से मधुर संबंधों का निर्वाह करते हुए शांत मन, दिल व दिमाग से निश्चिंत हो अपना कार्य पूर्ण निष्ठा/ ईमानदारी व मेहनत से संपादित कर कार्यस्थल पर भी जीवन का सुकून सुख व आनंद उठा सकें।

समिति की कार्ययोजना

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रकोष्ठ निम्न प्रकार की गतिविधियों द्वारा अपने गठन के उद्देश्य को सफल बना सकता है।

सूचना व अधिकारों का प्रसारण

1. छात्राओं व महिलाओं को अपने अधिकारों से अवगत कराने हेतु विभिन्न पत्रिकाओं व समाचार पत्रों द्वारा प्रेषित जानकारी पोस्टर या पम्पलेट आदि को महाविद्यालय में विभिन्न स्थानों पर चस्पा करना अथवा वितरित करना।

2. विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के व्याख्यानों द्वारा नियमों व अधिकारों के बारे में जागरूकता लाना।

3. दिशादर्शन व जागरूकता लाने हेतु वर्कशाप, सेमिनार आयोजित करना।

4. विद्यार्थियों व सभी कर्मचारियों व प्राध्यापकों को स्त्री सम्मान हेतु प्रशिक्षित करना, संस्कारित करना।

5. दुर्व्यवहार एवं अत्याचार के प्रति आवाज उठाने के लिये तैयार करना।

5. गोपनीय या खुलकर कॉन्सिलिंग द्वारा ऐसी घटनाओं को उनके मूल से ही नष्ट करने का प्रयास करना।

6. समस्त सावधानियाँ बरतने के बावजूद अगर ऐसी घटना घट भी जाए तो समिती पीड़िता को सुन घटना की गोपनीयता बनाए हुए न्याय संगत प्रक्रिया हेतु महाविद्यालय प्रधान को अनुशंसा करेगी।

अतः होलकर विज्ञान महाविद्यालय प्राचार्य, पुलिस प्रशासन व प्राध्यापकों की मदद से महाविद्यालय परिसर में ऐसा स्वस्थ वातावरण निर्मित करने हेतु सार्थक प्रयास किये जायेंगे जिससे नारी जाति को उनका सम्मान, हर कार्य में समानता व निर्भीक होकर कार्य करने की, अपने विचारों को व्यक्त करने व अपने जायज अधिकारों के लिए लड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। महाविद्यालय का इतिहास व परम्परा भी नारी जाति के प्रति पूर्ण सम्मान की ओर इशारा करता है और भविष्य में भी इसके लिये कृत संकल्पित है।

आभार

डॉ. आर. के. तुगनावत, प्राचार्य, शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय के दिशा–निर्देश पर शासन की नीति के मद्देनजर महाविद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारीयो, शिक्षकों तथा छात्राओं हेतु स्वस्थ वातावरण निर्मित करने हेतु महिला सशक्तिकरण नीति का निर्धारण किया है। अतः महाविद्यालय नीति निर्धारण दल आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। महाविद्यालय परिवार नीति निर्धारण सदस्यों यथा डॉ. साधना विवरेकर, सहायक प्राध्यापक वनस्पतिशास्त्र एवं डॉ. एम.एम.पी. श्रीवास्तव, प्राध्यापक प्राणीशास्त्र एवं परीक्षा नियंत्रक के प्रति भी आभार व्यक्त करता है, जिनके प्रयास एवं परिश्रम से ही यह नीति अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सकी है। साथ ही आशा करता है कि महाविद्यालय की यह नीति महाविद्यालय में छात्राओं के पढ़ने के लिये तथा महिलाओं के कार्य करने के लिये एक स्वस्थ वातावरण तैयार करने में सहायक सिद्ध होगी।

मेरे सपनों का भारत

मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूँगा, जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी यह महसूस करे कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसकी आवाज का महत्व है। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूँगा, जिसमें ऊँच-नीच का कोई भेद न हो। जातियाँ मिलजुल कर रहती हों। ऐसे भारत में, अस्पृश्यता व शराब तथा नशीली चीजों के लिए, कोई स्थान न होगा। उसमें स्त्रियों को पुरूषों के समान अधिकार मिलेंगे। सारी दुनिया से हमारा सम्बन्ध शांति और भाईचारे का होगा। यह है मेरे सपनों का भारत।

मोहनदास करमचंद गांधी